

दिनांक

आज्ञा पत्र

23.25

प्रकारकी सेवा। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिरागत दी गई थी कि
आवामी विधि से पूर्व तामील से शेष रेकॉर्डिंग के रजिस्टर्ड नोटिस देना करें
अथवा आवामी विधि पर आदेश 9 दिना 5 की पी.पी. के तहत नवीन स्थिति
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने नवीन नोटिस के अतिरिक्त नोटिस
देना नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त को अपीलान्त के प्रति पेशी
नहीं है। अतः अपीलान्त आदेश 9 दिना 5 की पी.पी. के तहत सार्विक
की जाती है। निर्णय से इतराल कुशल तथा प्रत्यक्षी किराज कुशल होकर नया
से कम होकर बाद राष्ट्रीय तकनीक दायित्व रक्षक हो।

शुभ्रवन्द्य
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर